

सुरक्षा ठेका निविदा प्रपत्र वर्ष

01-02-2020

से

31-01-2022

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ

मर्यादित

मकसी रोड़, उज्जैन

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

मक्सी रोड, उज्जैन

ठेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय हेतु निविदा प्रपत्र -

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | ऑनलाईन निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि एवं समय | दिनांक 24.12.2019
दोपहर 01:00 बजे से |
| 2 | ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 17.01.2020
दोपहर 3:00 बजे तक |
| 3 | तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय | दिनांक 20.01.2020
अपरान्ह 4:00 बजे तक |
| 4 | निविदा के साथ जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि | रू. 2,00,000/- (रू. दो लाख मात्र) |
| 5 | निविदा खोलने का स्थान | उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मक्सी रोड, उज्जैन |
| 6 | ठेका हेतु "तकनीकी अर्हताएँ" का प्रारूप | प्रपत्र 01 |
| 7 | ठेके की सामान्य शर्तें | प्रपत्र 02 |
| 8 | ."भाव पत्र/दरे" प्रस्तुत करने का प्रारूप | प्रपत्र 03 सिर्फ ऑनलाईन भरा जावेगा।
भौतिक रूप से न दिया जावे । |

09 ठेके की अवधि

01 फरवरी 2020 से 31 जनवरी 2022

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- 01- प्रतिभूति राशि (ई.एम.डी.) रू. दो लाख आनलाईन जमा की जाना है तत्पश्चात् सफल निविदाकारों के प्रपत्र 01 तथा प्रपत्र 02 खोले जावेंगे ।
- 02- प्रपत्र क्रमांक 1 "तकनीकी अर्हताएँ" ऑनलाईन तथा प्रपत्र क्रमांक 2 "निविदा की शर्तें" जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर अनिवार्य है, एक ही लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत की जावे ।
- 03- प्रपत्र 3 "भाव पत्र/दरे" सिर्फ ऑनलाईन ही भरी जावेगी ।
- 04- उक्त दोनों बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत किये जावें। पहले "तकनीकी अर्हताएँ" का लिफाफा खोला जावेगा। उसमें सफल निविदाकर्ताओं की दरें ऑनलाईन खोली जावेगी ।
- 05- निविदा प्रपत्र क्रमांक 2 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी एवं शर्तों वाली निविदा को सीधे निरस्त किया जावेगा ।
- 06- भावपत्र के सभी मदों की पूर्ति किया जाना आवश्यक है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत ध्यान में रखते हुए दरें प्रस्तुत की जावे। यदि किसी मद में भाव नहीं दिया गया होगा, तो निविदा सीधे निरस्त की जावेगी ।

कार्यालय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन

प्रपत्र -01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या. उज्जैन

महोदय,

टेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय हेतु दिनांक को WWW.mptenders.gov.in में अपलोड निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तों एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार सुरक्षाकर्मी प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा ई.एम.डी. राशि रु. 2,00,000/- आनलाईन जमा की जा चुकी है।

तकनीकी अर्हताएँ

क्र०	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1	टेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र	हाँ/नहीं
2	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशीप डीड	है/नहीं
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र	है/नहीं
4	प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्था में गत 2 वित्तीय वर्षों में टेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय किये हों तथा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-2019 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 100 सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन प्रदाय किये हों (संस्था का नाम व पता जहाँ सुरक्षाकर्मी प्रदाय किये गये हों)	नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति एवं सफलतापूर्वक अनुभव का प्रमाण पत्र।	है/नहीं
5	सुरक्षा टेके संबंधी लाइसेन्स क्रमांक (किस अवधि तक मान्य है)	श्रम विभाग का पत्र/प्रमाण पत्र	है/नहीं
6	भविष्य निधि कोड नं.	क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र	है/नहीं
7	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नं.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।	है/नहीं
8	प्रॉयवेट सुरक्षा एजेंसी (नियमन) अधिनियम 2005 के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र	संबंधित कार्यालय का प्रमाण पत्र	है/नहीं
9	जी.एस.टी. पंजीयन कोड	सक्षम विभाग का पत्र/प्रमाण पत्र।	है/नहीं

10	वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण	आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती/प्रति	है/नहीं
11	वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 का टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष राशि रु. एक करोड से अधिक होना अनिवार्य है।	Chartered Accountant द्वारा प्रमाणित वित्तीय पत्रक एवं लाभ/हानि खाते (Profit & loss A/C) की प्रमाणित छायाप्रति। (ऑडिट रिपोर्ट)	है/नहीं
12	भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण	वित्तीय वर्ष 2018-19 में जमा की गई राशि के चालान	है/नहीं
13	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण	वित्तीय वर्ष 2018-19 के चालानों की प्रति	है/नहीं
14	कारखाना एवं श्रम विभाग/भविष्यनिधि/कर्मचारी राज्य बीमा में प्रकरण/वाद आदि विचाराधीन/लंबित न होने का शपथ-पत्र।	नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।	है/नहीं
15	पेन कार्ड	पेन कार्ड की छायाप्रति	है/नहीं

- नोट :-1** उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है तथा निविदा खोले जाने के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
- 2 तकनीकी अर्हताओं संबंधी प्रपत्र क्रमांक 1, 2 सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी। तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वाले निविदाकारों का ही दर पत्रक ऑनलाईन खोला जायेगा।
 - 3 उपरोक्त समस्त 15 जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।
 - 4 न्यूनतम सुपरविजन सर्विस चार्ज 01 प्रतिशत होगा, इससे कम सर्विस चार्ज प्रस्तुत करने पर निविदा अमान्य की जावेगी। यदि एक से अधिक निविदाकारों द्वारा समान दर प्रस्तुत की जाती है, तो गोटी/लॉटरी के आधार पर समस्त निविदाकारों के समक्ष प्रथम न्यूनतम एवं द्वितीय न्यूनतम निर्णय लिया जावेगा।
 - 5 एक अथवा समस्त निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

हस्ताक्षर सुरक्षा ठेकेदार

स्थान दिनांक

नाम

पत्र व्यवहार का पता एवं दूरभाष/मो. :

.....

निविदा की शर्तें

1. ठेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय करने हेतु म.प्र. शासन अथवा अधिकृत निकाय/संस्था/डी.जी.आर से विधिवत पंजीकृत एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी जिसके पास किसी प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यक संस्था में सुरक्षाकर्मी प्रदाय का विगत 2 वित्तीय वर्षों का अनुभव हो और जिसने वित्त वर्ष 2017-18 व 2018-19 में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 100 सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन प्रदाय किया हो, ऐसे निविदाकारों की निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा। साथ ही दुग्ध संयंत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का अनुभव रखने वाले निविदाकार को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) रूपये 2,00,000/- (रु. दो लाख मात्र) निविदाकार को संघ में आनलाईन जमा करना अनिवार्य है जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निविदा स्वीकृत होने पर संघ के प्रबंधन द्वारा कार्य की सूचना दिये जाने पर निर्धारित तिथि से कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो प्रतिभूति राशि जब्त की जावेगी। निविदा स्वीकृत होने एवं कार्य शुरू होने पर प्रतिभूति की राशि अमानत/धरोहर राशि में समायोजित की जावेगी। सुरक्षा राशि कुल रु. 5,00,000/- (पांच लाख मात्र) होगी।
3. निविदा स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। मुख्य डेरी संयंत्र एवं दुग्ध शीतकेन्द्रों में कार्य की आवश्यकतानुसार सुरक्षाकर्मियों की संख्या समय-समय पर घटाई व बढ़ाई जा सकती है अथवा आवश्यकता होने पर कम से कम 50 सुरक्षा कर्मियों की मांग भी की जा सकती है। ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ एवं शीतकेन्द्रों के संयंत्रों, भवनों, गोडाउन, कार्यालयीन संपत्ति एवं परिसर की दिन-रात सुरक्षा व्यवस्था करेगा।
4. निविदाएं खोलने के पश्चात यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हों और वह आवश्यक समझे तो सभी अर्हता प्राप्त निविदाकर्ताओं को निगोशिएशन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। साथ ही केवल न्यूनतम दरें प्रस्तुत किया जाना निविदा मान्य करने हेतु योग्यता का मापदण्ड नहीं माना जावेगा।
5. (अ) ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार शिफ्टों में की जावेगी एवं होने वाली चोरी, नुकसान एवं संपत्ति की क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगी। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना संबंधित शाखा द्वारा अविलंब युक्ति-युक्त समय से सुरक्षा शाखा को दी जावेगी। घटना प्रकरण में संघ द्वारा जांच की जावेगी तथा जांच उपरांत सुरक्षा शाखा के उत्तरदायी पाये जाने पर संघ द्वारा निर्धारित की गई हानि की राशि वसूल करने एवं ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी के विरुद्ध आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही करने में सक्षम होगा। (विभागीय जांच समिति में सुरक्षा एजेंसी का प्रतिनिधि होगा)
- (ब) दुग्ध संयंत्रों में केन/क्रेट/ढक्कन की चोरी, पिलफ्रेज न हो इसकी जबाबदारी हेतु

विशेष व्यवस्था निम्नानुसार लागू होगी :-

(क) क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित स्थल पर (प्लांट, डाक, स्टोर, या स्टोर डाक) व्यवस्थित रूप से रखी जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण निगरानी सुरक्षा एजेंसी की होगी एवं बिना गेट पास या इंडेन्ट/रिर्टन स्लिप से कोई भी सामान क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित डाक से नीचे या स्टोर से बाहर नहीं ले जाई जाये एवं न ही अन्य प्रयोजनों में उपयोग में लाई जावे।

(ख) क्रेट/केन/ढक्कन की गणना करते समय सुरक्षा एजेंसी को सूचित किया जाएगा। इस हेतु

उन्हें अपना प्रतिनिधि देना अनिवार्य है एवं संबंधित डॉक/स्टोर पर गणना के समय सभी प्रकार की टूटी फूटी क्रेट/केन/ढक्कन भी सम्मिलित की जावेगी।

(ग) डाक से क्रेट/केन/ढक्कन डेरी संयंत्र से बाहर भेजते समय गिनती करवाने हेतु सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि, वितरण शाखा के वितरण लिपिक एवं उत्पादन शाखा के प्रबंधक (उत्पादन) उपस्थित होंगे। एक रजिस्टर वितरण लिपिक द्वारा रखा जावेगा एवं एक रजिस्टर प्रबंधक (उत्पादन) द्वारा रखा जावेगा। (क्रेट एकाउंट रजिस्टर) एक रजिस्टर सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर रखा जावेगा।

उपरोक्त बाहर गये क्रेट /केन/ढक्कन डेरी संयंत्र में वापसी के समय सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर सुरक्षा शाखा रजिस्टर में गिनकर रिकार्ड किये जावेंगे। साथ ही डेरी प्लांट में इन क्रेट /केन/ढक्कन की वापसी रिकार्ड वितरण लिपिक एवं प्रबंधक (उत्पादन) अपने रिकार्ड/रजिस्टर में रखेंगे। इन्द्राज अंको एवं शब्दों में दोनों ही तरीकों से अंकित होगा। संबंधित पक्ष अपने पूर्ण हस्ताक्षर, मय दिनांक के करेंगे।

सुरक्षा एजेंसी को कार्य आवंटन के प्रथम दिवस पर ही संघ/शीतकेन्द्र परिसर में उपलब्ध क्रेट /केन/ढक्कन का भौतिक सत्यापन करवाकर उसका चार्ज सुरक्षा एजेंसी द्वारा लिया जावेगा तथा उनके आवक एवं जावक का समस्त रिकार्ड सुरक्षा एजेंसी द्वारा रखा जाना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को समस्त क्रेट/केन/ढक्कन का भौतिक सत्यापन प्रबंधक (उत्पादन) एवं वितरण लिपिक के समक्ष सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जावेगा, जिसका मिलान सत्यापन, सुरक्षा एवं वितरण शाखा के अभिलेखों से किया जावेगा। इसमें कमी पाये जाने पर सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी एवं उसकी वसूली प्रचलित क्रय दरों से सुरक्षा एजेंसी के अगले माह के देयकों से की जावेगी। (उत्पादन शाखा से संपादित कार्यो बाबत अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली संलग्न है)

6. ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा राशि राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
7. कान्ट्रैक्ट लेबर (रेग्युलेशन एंड ऐबोलीशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत ठेकेदार के पास सुरक्षा कर्मी प्रदाय हेतु लायसेंस लेना आवश्यक है तथा उसे समस्त श्रम अधिनियमों व प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा व भविष्य में होने वाले संशोधनों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
8. सुरक्षा कर्मियों द्वारा अग्नि बुझाने वाले उपकरणों का रख-रखाव सुनिश्चित करना होगा एवं उनका समय-समय पर निरीक्षण/परीक्षण करना होगा।
9. ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करें कि स्टोर एवं उसके अंदर या बाहर रखी सामग्री की चोरी या क्षति न होवे।
10. ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करें कि अनाधिकृत, निषेधित एवं नशा करके कोई व्यक्ति परिसर में प्रवेश न करे एवं ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी यह भी सुनिश्चित करें कि कोई व्यक्ति हथियार, नशीले पदार्थ, जहरीले पदार्थ व अन्य कोई अवांछित वस्तु लेकर परिसर में प्रवेश न करे। उल्लंघन होने पर आर्थिक दण्ड रु. 5,000/- एवं कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

11. ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी का यह दायित्व होगा कि, वे कार्यालय /संयंत्र परिसर में शांति बनाये रखें एवं कर्मचारियों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के झगड़े इत्यादि को रोके एवं कानूनी कार्यवाही करे।
12. ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक गत माह में लगाये गये सुरक्षाकर्मियों का मानव दिवस (Mandays) के आधार पर सत्यापित बिल प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा। देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों के वेतन पत्र संलग्न करना एवं NEFT से वेतन सीधे खातों में भुगतान करना होगा, अन्यथा प्रस्तुत बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा। वेतन पत्र में प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौतों एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौतों दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा एजेंसी बिल के साथ सुरक्षा कर्मचारियों की सत्यापित उपस्थिति एवं विगत माह का भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न करेगी। यदि भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार किसी सुरक्षा कर्मचारी को कोई वेतन देय होना है तो संघ प्रथम नियोक्ता के नाते बिल से कटौत कर संबंधित को सीधे भुगतान की कार्यवाही करने में भी सक्षम होगा।
ठेकेदार द्वारा यदि वैधानिक औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता है, एवं भविष्य निधि अंशदान तथा कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान भुगतान तथा जी.एस.टी.के गत माह के चालानों की प्रति बिल के साथ प्रस्तुत नहीं करता है तो संघ द्वारा ठेकेदार का सर्विस चार्ज राशि का भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोक दिया जावेगा और किसी भी प्रकार का सुरक्षा कर्मियों को भुगतान संबंधी अवरोध आदि पैदा होता है (और यदि उपरोक्त के अभाव में देयक भुगतान में विलंब होता है) तो उसकी पूर्ण जबाबदारी ठेकेदार की होगी एवं प्रबंध पक्ष किसी भी प्रकार से जबाबदार नहीं रहेगा।
13. ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी को कार्य हेतु प्रबंध उचित स्थान उपलब्ध करायेगा। संघ द्वारा बैठने एवं रिकार्ड सुरक्षित रखने हेतु फर्नीचर प्रदाय किया जावेगा।
14. ठेके के दौरान सुरक्षा एजेंसी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सुरक्षा एजेंसी अपने कार्य पर नहीं ले सकेगी।
15. सुरक्षा ठेका आदेश दिनांक/अनुबंध निष्पादन दिनांक से अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। यदि ठेका संचालन संतोषप्रद किया गया हो, प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार आपसी समझौता कर एक वर्ष के लिए पूर्व स्वीकृत दर एवं पूर्वानुसार शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी।
16. निविदाकार को कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम दोनों में रजिस्ट्रेशन होना/पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियाँ निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी। निविदाकर्ता पर कारखाना अधिनियम एवं श्रम विभाग में प्रकरण/विवाद आदि लंबित/विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। शपथ पत्र असत्य पाये जाने पर ठेका तत्काल समाप्त किया जा सकेगा। सुरक्षा ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि/ कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिपेक्ष्य में संबंधित निकायों/उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है जो सुरक्षा ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, एवं सुरक्षा निधि राजसात की जावेगी।
17. सुरक्षा कार्य हेतु प्रतिदिन प्रति पाली प्रबंधन की आवश्यकतानुसार सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने

होंगे। यदि अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता होगी तो प्रशासन शाखा द्वारा ठेकेदार को यथासमय सूचना दी जावेगी। तदानुसार ठेकेदार को व्यवस्था करनी होगी। यदि व्यवस्था करने में ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी।

18. ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंध की सेवा शर्तों का पालन करना पड़ेगा। सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों तथा संघ के विरुद्ध धरना/आंदोलन में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। प्रबंध के निर्देशानुसार सुरक्षा कर्मियों के विरुद्ध सुरक्षा एजेंसी द्वारा कार्यवाही करना अनिवार्य होगा एवं तत्काल उन्हें संघ परिसर से हटाना होगा अन्यथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सुरक्षा ठेका तत्काल समाप्त किया जा सकेगा।
19. ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा लापरवाही या असंतोषजनक कार्य से संघ को किसी प्रकार का नुकसान/हानि पहुंचाई जाती है तो उस स्थिति में संघ को हुये नुकसान/हानि की भरपाई/वसूली सुरक्षा एजेंसी से की जावेगी तथा सुरक्षा ठेका भी तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
20. प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमले की तैनाती के संबंध में समय-समय पर निर्देश दिया जावेगा जिसका सुरक्षा एजेंसी द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा तथा सुरक्षा अमले को रखने के पूर्व उनका पुलिस द्वारा सत्यापन आवश्यक होगा तथा उनकी नई पदस्थापना से पूर्व संघ से प्रशासनिक अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। पुलिस सत्यापन की प्रति प्रथम दिवस पर संघ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी।
21. ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी प्रबंध की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार टाइम आफिस रिकार्ड रखने के लिये उत्तरदायी होगी।
22. ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी प्रबंध के निर्देशानुसार गेट से दूध, दुग्ध पदार्थ, केन, क्रेट आने-जाने की डेली रिपोर्ट तैयार करेगी एवं उस रिपोर्ट को प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
23. सुरक्षा एजेंसी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है तो प्रबंध को सुरक्षा ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा।
24. सुरक्षा एजेंसी परिसर में आवारा कुत्तों, बिल्ली एवं पशुओं को रोकने के लिए उत्तरदायी होगी। यदि ऐसा करने में वे विफल हुईं तो प्रबंध द्वारा प्रति प्रकरण रु. 1000/- का सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना किया जाकर वसूल किया जावेगा।
25. संघ द्वारा निर्धारित चालान/गेटपास/मांगपत्र/आदि से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ एवं अन्य सामग्री प्रदाय की जाती है, इसी प्रकार संघ में सामग्री प्राप्त भी होती है उसका समुचित रिकार्ड रखा जाना होगा। यह सत्यापित किये जाने की जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी कि, जो सामान गेटपास/चालान/ मांगपत्र आदि में लिखा गया हो उतनी ही सामग्री जाए या आए। कम या अधिक होने पर जबावदारी ठेकेदार की होगी।
26. किसी भी सुरक्षाकर्मी की उम्र 25 वर्ष से कम एवं 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए एवं कार्य करने वाले सुरक्षाकर्मी की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। यदि प्रबंध पक्ष द्वारा महिला सुरक्षाकर्मियों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। नवीन सुरक्षा एजेंसी वर्तमान में कार्यरत सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों को कार्य पर नहीं रखेगी।

1 सुरक्षा एजेंसी, कर्मचारियों के लिए निम्न अर्हतायें निर्धारित की जाती है :-

- (अ) सुरक्षा अधिकारी :- एनसीओ, सूबेदार से कम रेक न हो अथवा समकक्ष।
(ब) सुरक्षा पर्यवेक्षक :- नायक की रेक से कम न हो अथवा समकक्ष।
(स) सुरक्षा गार्ड :- (1) 12 वीं पास एवं
(2) एनसीसी प्रशिक्षित, आर.एस.एफ. जिसके पास प्रमाण पत्र एवं औद्योगिक सुरक्षा सेवा का 3 वर्ष का अनुभव हो एवं
(3) A उँचाई - 5 फिट 6 इंच न्यूनतम
B सीना - 32-34 इंच न्यूनतम
C वजन - कम से कम 50 kg. लंबाई के अनुपात में
(ग) गनमैन :- गन रखे जाने का लाइसेंसधारी एवं पुलिस/मिलिट्री से रिटायर होने पर प्राथमिकता।

- 27 निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार को सुरक्षा कुल राशि ड्राफ्ट/आरटीजीएस रूपये 5.00 लाख (रु. पांच लाख) अनुबंध के समय एक मुश्त कार्यदेश पश्चात जमा करनी होगी। तदोपरांत प्रदायित सुरक्षाकर्मियों को भुगतान होने वाली न्यूनतम मजदूरी की एक माह की राशि यदि उक्त जमा सुरक्षा राशि से अधिक होती है तो अंतर की राशि जमानत स्वरूप जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त सुरक्षा राशि ठेका समाप्त होने के पश्चात संघ के समस्त विभागों से अदेय प्रमाण पत्र एवं कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा कार्यालय आदि से संपूर्ण ठेका अवधि की निरीक्षण टीप संघ में जमा कराने के पश्चात ही वापस की जावेगी। जमा सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 28 सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षाकर्मियों की हाजरी के अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरी का भुगतान हर माह की सात (7) तारीख के पूर्व RTGS/NEFT के माध्यम से ऑनलाईन के माध्यम से करना होगा जिसकी संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदार की होगी। सुरक्षाकर्मियों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ठेकेदार द्वारा समस्त सुरक्षाकर्मियों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, ठेकेदार द्वारा सभी सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को सूचना दी जावेगी व उनका भुगतान बैंक के माध्यम से किया जावेगा।
- 29 सुरक्षा एजेंसी द्वारा रखे गये सुरक्षाकर्मियों को नियुक्ति पत्र एवं फैंक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, परिचय पत्र, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड ठेकेदार को पूरा रखना होगा एवं समय-समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 30 संयंत्र परिसर में धूम्रपान/मदिरापान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य में लिप्त पाये जाने/अनुशासनहीनता करने, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि करने पर संबंधित सुरक्षाकर्मी को पारिश्रमिक देय नहीं होगा तथा ऐसे सुरक्षाकर्मी को तत्काल प्रभाव से कार्य से हटाना होगा।
- 31 सुरक्षा एजेंसी को ठेके के अंतर्गत प्रदत्त सुरक्षाकर्मी अच्छे आचरण एवं चरित्र के देना होंगे। उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई सुरक्षाकर्मी डेरी संयंत्र परिसर में अभद्र व्यवहार या लड़ाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो सुरक्षा ठेकेदार को ऐसे सुरक्षाकर्मी को शीघ्र हटाना होंगे। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/ असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें।

- सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व पुलिस विभाग से सत्यापन कराना होगा एवं प्रबंध से अनुमति लेनी होगी।
- 32 प्रत्येक दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण वाहन में वितरण शीट/डी.एम. में दर्शित मात्रा के अनुसार ही सामान लोडिंग कराना सुरक्षा एजेंसी को सुनिश्चित करना होगा। वितरण वाहन लोड होने के उपरांत एवं गेट पास बनाकर देने के उपरांत जांच करने पर यदि वाहन में दूध एवं दुग्ध पदार्थ की मात्रा वितरण शीट/डी.एम. से अधिक पायी जाती है तो अधिक पाये जाने वाली दूध एवं दुग्ध पदार्थ की मात्रा की 50 गुनी राशि सुरक्षा एजेंसी से वसूल की जावेगी।
- 33 प्रबंधन के निर्देशानुसार ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों की सामयिक चिकित्सा जांच करवानी होगी। उसके स्वयं के व्यय पर तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये सुरक्षाकर्मियों को वर्ष में दो बार टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी। ठेकेदार के सुरक्षाकर्मियों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई सुरक्षाकर्मी आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधाएँ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी।
- 34 ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये सुरक्षाकर्मियों को एक निश्चित रंग की गणवेश (शर्ट,पैंट,जूते,बरसाती,टार्च,लाठी,सीटी)प्रत्येक वर्ष एवं परिचय पत्र अपने स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना होगा।
- 35 समय-समय पर शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई जाने पर ठेकेदार को तदनुसार सुरक्षाकर्मियों की मजदूरी का भुगतान करना होगा। ठेकेदार को उसके कर्मचारियों पर लागू होने वाले समस्त श्रम अधिनियमों व कारखाना अधिनियमों तथा अन्य वैधानिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि ठेकेदार इन नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी।
- 36 आयकर का PAN तथा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 (कर निर्धारण वर्ष 2018-19 एवं 2019-20) हेतु जमा किये गये रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगी। ठेकेदार के देयक से आयकर का नियमानुसार टीडीएस कटौती कर आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष के समाप्ति उपरांत ठेकेदार द्वारा संघ से किये गये कटौती का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा।
- 37 सुरक्षा एजेंसी को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों का प्रतिमाह ईपीएफ/ईएसआई का अंशदान नियमानुसार जमा करना होगा एवं चालान की प्रतिलिपि कर्मचारियों की सूची सहित प्रतिमाह संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। सुरक्षाकर्मियों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि देने में ठेकेदार विफल हो जाता है या भविष्य निधि, ई.एस.आई एवं जी.एस.टी. आदि जमा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि ठेकेदार की सुरक्षा राशि से या देय योग्य राशि में से संघ ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो ठेकेदार से भूराजस्व की बकाया की भाँति वसूल कर सकेगा। सुरक्षा ठेकेदार को प्रत्येक सुरक्षाकर्मियों के नाम से ई.पी.एफ. खाता खोलकर उसमें ई.पी.एफ. अंश जमा करना होगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के कटौती का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेख करना होगा। प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का ई.एस.आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना होगा। इस बाबत शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक सुरक्षाकर्मी रु. 1000/- की पेनाल्टी ठेकेदार पर लगाई जाएगी।
- 38 सुरक्षा एजेंसी को विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी। श्रम, सुरक्षा अधिनियम एवं कारखाना अधिनियम के अंतर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी रखना ठेकेदार को आवश्यक होगा व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

- 39 उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत श्रमिक ठेकेदार अथवा किसी भी कर्मी को सुरक्षा ठेका प्रदान नहीं किया जा सकेगा।
- 40 सुरक्षा एजेंसी को बोनस अधिनियम, एवं अन्य वैधानिक दायित्वों का भुगतान स्वयं करना होगा अर्थात् इस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि सुरक्षाकर्मियों को भुगतान करने का संपूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा। उपरोक्त अधिनियम अंतर्गत सुरक्षाकर्मियों को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जावेगी।
- 41 निविदा शर्तों एवं अनुबंध में भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है। यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में दो माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा। जिसका पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
- 42 श्रम नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश एवं कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम, ठेका सुरक्षाकर्मियों को ठेकेदार द्वारा देना आवश्यक होगा। इसके लिए रिलीवर/एवजी की व्यवस्था ठेकेदार को करना होगी जिसके लिए प्रबंधन द्वारा पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 43 सुरक्षाकर्मियों को एक ही पाली में निरंतर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है। सुरक्षा ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की पाली नियमानुसार बदले ऐसा नहीं पाया जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
- 44 ठेकेदार को संघ के द्वितीय गेट पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित सुरक्षाकर्मियों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा संघ के अधिकृत कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। ठेकेदार को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अधिकृत कर्मचारी से हस्ताक्षर कराने होंगे।
- 45 सुरक्षा ठेकेदार को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन की नाम मात्र सदस्यता ग्रहण करनी होगी।
- 46 सुरक्षा ठेकेदार अथवा प्रबंधन को ठेके की अवधि के मध्य तीन माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा।
- 47 निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्च से अनुबंध पत्र हेतु रुपये 1000/- (रु एक हजार मात्र) का न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा और अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसके पश्चात ही ठेकेदार का प्रथम देयक स्वीकृत कर भुगतान किया जावेगा।
- 48 उपरोक्त लिखी हुई शर्तों व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो सुरक्षा ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा एवं सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 49 यदि सुरक्षा ठेके की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद को निर्णयार्थ अर्बिटेटर को सौंपा जा सकेगा। अर्बिटेटर उभय पक्ष की सहमति से अथवा Arbitration Act अनुसार निर्धारित कि या जावेगा व अर्बिटेटर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा जो कि अंतिम होगा।

- 50 किसी भी वाद-विवाद की सुनवाई उज्जैन न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी ।
- 51 यदि एक से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती हैं तो ठेका आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जावेगा। लॉटरी के समय निविदाकार/उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
- 52 सुरक्षा ठेकेदार को किसी सहकारी संस्था, राज्य शासन या किसी मंडल से ब्लेक लिस्टेड किया जाता है तो वह इस ठेके में अपात्र होगा ।
- 53 सुरक्षा ठेका अवधि के दौरान किसी प्रकार की चोरी हुई अथवा सुरक्षाकर्मी चोरी में लिप्त पाये गये तो आर्थिक दण्ड एवं हानि की राशि अधिरोपित की जावेगी, तथा ऐसे लिप्त सुरक्षाकर्मी को तत्काल हटाना होगा, तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सुरक्षा ठेकेदार को मान्य होगा, तथा इसके पश्चात् भी चोरी हुई अथवा चोरी में सुरक्षाकर्मी लिप्त पाया गया, तो हानि की राशि वसूल की जाकर अनुबंध समाप्त कर, अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी एवं भविष्य में निविदा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।
- 54 नये ठेके के अंतर्गत पुराने ठेके के कर्मचारियों को कार्य पर न लिया जावे अन्यथा ठेका निरस्त किया जावेगा ।
- 55 किसी भी एक अथवा समस्त निविदा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा ।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**

उपरोक्त शर्त क्रमांक 1 से 55 तक सभी शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं । उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए निर्धारित भाव पत्र ऑनलाईन प्रपत्र 3 में दरें/भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

स्थान :-

हस्ताक्षर सुरक्षा ठेकेदार

दिनांक :-

नाम :

पत्र व्यवहार का पता एवं दूरभाष :

स्थाई निवास का पता :

दूरभाष/मो.नं. :

उत्पादन शाखा से सम्पादित कार्यो बाबत अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली

1. दुग्ध संकलन हेतु विभिन्न स्थानों पर जाने वाले टेंकर की पूर्ण प्रविष्टि की जावे तथा पिछली दिनांक में गये टेंकर की पूर्ण जानकारी दूसरे दिन निम्न दर्शाये फार्म में उत्पादन शाखा को प्रस्तुत की जावे :-

दिनांक	समय	टेंकर क्र.	स्थान जहां गये	वाहन चालक का नाम	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

- 2 विपणन शाखा द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वाहनों को अंदर आने की व्यवस्था रखी जावे।
- 3 प्रत्येक वितरण वाहन में वितरण शाखा द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की संख्या से अधिक कर्मचारियों को 2 नं. गेट से अंदर नहीं आने दिया जावे।
- 4 वाहन सिक्युरिटी गार्ड की देखरेख में लोड होगा तथा चालान पर सुरक्षा गार्ड पूरा नाम लिखेगा फिर हस्ताक्षर करेगा।
- 5 2 नं. गेट पर जा रही वितरण वाहन की पूर्ण जांच के बाद ही प्रविष्टि होगी। दिनांक, समय, चालान क्रमांक, पैकेट तथा क्रेट की संख्या, वाहन क्रमांक तथा पर्यवेक्षक का नाम हस्ताक्षर आदि।
- 6 रिटर्न क्रेटस लाने वाली वाहन को क्रम से एक समय में दो वाहन ही अंदर आने दिया जावे। क्रेट की संख्या की गिनती कर उसे रिटर्न स्लिप की जावे जिस पर सिक्युरिटी गार्ड, सिक्युरिटी सुपरवाइजर का पूरा नाम लिखा होगा एवं हस्ताक्षर होंगे। क्रेट की संख्या अंको तथा शब्दों में होना आवश्यक है।
- 7 डाक पर जो वाहन लोड की जावेगी उसे सुरक्षा गार्ड द्वारा गिना जावेगा उसके पश्चात वितरण शाखा का प्रतिनिधि गिनेगा। गिनने के पश्चात वाहन चालक को क्रेट प्राप्ति की पावती रिटर्न स्लिप तीन प्रतियों पर पूर्ण हस्ताक्षर कर दी जावेगी। वाहन चालक से बाहर जाते समय पावती एक प्रति सुरक्षा शाखा द्वारी ली जावेगी।
- 8 प्रातः एवं शाम का प्राप्त रिटर्न क्रेट की जानकारी रजिस्टर में निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार दर्ज की जावेगी :-

दिनांक	समय	वाहन क्र.	चालान क्र	क्रेट की संख्य	सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

- 9 पिछली दिनांक से प्राप्त क्रेटस का रिकंसिलेशन प्रतिदिन उत्पादन शाखा में उपलब्ध वितरण शाखा के रिकार्ड से करवाया जावेगा।
- 10 क्रेटस का उपयोग केवल दूध एवं दूध के पदार्थ रखने हेतु है। अन्य कार्यो के लिये अन्य शाखा द्वारा इसका उपयोग वर्जित है। तथा डाक से नीचे क्रेटस ले जाते हुये किसी कर्मचारी को देखा जावे तो तुरंत रोका जावे।
- 11 क्रेटस का भौतिक सत्यापन प्रतिदिन प्रातः वितरण के बाद तथा घी कक्ष का प्रातः 8 बजे प्रबंधक, संयंत्र संचालन द्वारा किया जावेगा। सत्यापन में ए.एस.ओ. स्तर की सिक्युरिटी की जवाबदारी रहेगी।

- 12 भंडार में वापस की जाने वाली समस्त सामग्री की सुरक्षा गार्ड द्वारा सत्यापित कर हस्ताक्षर किये जावेंगे।
- 13 घी कक्ष का कार्य समाप्त होने पर उसे सील किया जाता है इस कार्य हेतु ए.एस.ओ. स्तर का अधिकारी उपस्थित रहेगा।
- 14 घी कक्ष से तथा डी.एम. पर इश्यू होने वाले समस्त डी.एम. पर सुरक्षा गार्ड जांच कर हस्ताक्षर करेगा।
- 15 घी शाखा या भंडार से वाहन लोड होते समय सुरक्षा गार्ड उपस्थित रहेगा तथा वाहन लोड होने पर डी.एम. से चैक कर डी.एम. पर हस्ताक्षर करेगा।
- 16 बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को गेट नं. 2 के अंदर नहीं जाने दिया जावे। समस्त आगंतुक एवं कर्मचारी टाइम आफिस गेट से आए/जाएं।
- 17 दो पहिया वाहनों को गेट नं. 2 से अंदर नहीं आने दिया जावेगा।
- 18 उत्पादन शाखा के कर्मचारियों की ड्यूटी पारी अनुसार रहती है। निर्धारित लंच अवधि के अलावा उन्हें गेट से बाहर जाने पर रोक लगाई जावे। यदि ड्यूटी में लंच अवधि के अलावा कोई कर्मचारी बाहर धूमता हुआ पाया जावेगा तो सिक्युरिटी कार्य में लापरवाही मानी जावेगी।
- 19 ठेकेदार के श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा प्रमाणित करने के बाद ही अंदर जाने दिया जावे।
- 20 अनाधिकृत व्यक्तियों को डेरी परिसर में नहीं आने दिया जावे।
- 21 यदि कोई व्यक्ति डी.एम. के साथ खाली क्रेट लेकर आता है तो डी.एम. के पीछे या अलग से एक स्लिप पर गेट पर ही लिखकर दिया जावे कि व्यक्ति के साथ कितनी क्रेट हैं।
- 22 प्रत्येक दिन बाहर गये एवं अंदर आये क्रेट/केन के रिकार्ड विपणन शाखा, उत्पादन शाखा एवं सुरक्षा एजेंसी के द्वारा रखे गये रजिस्ट्रों के अनुसार रिकन्सीलेशन किया जावेगा। प्रतिदिन प्रातः रिटर्न आने से पूर्व सुरक्षा एजेंसी के सुपरवाइजर, संसाधन अधीक्षक एवं विपणन लिपिक डेरी में बचे हुये क्रेट/केन का भौतिक सत्यापन करेंगे। यदि सुरक्षा एजेंसी का कर्मचारी अनुपस्थित होगा तो वे इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे व वस्तुस्थिति उन पर बंधनकारी होगा।
- 23 उक्त प्रक्रिया के अनुसार यदि किसी प्रकार क्रेट/केन में रिकार्ड की तुलनानुसार कोई कमी आती है तो उसके लिए सुरक्षा एजेंसी पूर्ण रूपेण जिम्मेदार हैं तथा तत्काल इसकी सूचना लेखा शाखा एवं प्रशासन शाखा को दी जावेगी। प्रशासन शाखा के माध्यम से ही संबंधित कटोत्रा किये जावेंगे। कटोत्रे की राशि सामग्री के वर्तमान कय मूल्य के आधार पर निर्धारित की जावेगी।
- 24 सुरक्षा एजेंसी द्वारा स्वयं के व्यय से सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी/प्रोटेक्टिव गारमेंट्स एवं परिचय पत्र उपलब्ध कराये जावेंगे। ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके।

स्थान :-

हस्ताक्षर सुरक्षा ठेकेदार

दिनांक :-

नाम :

पत्र व्यवहार का पता एवं दूरभाष :

.....

स्थायी निवास का पता :

.....

.....
दूरभाष/मो.नं. :

कार्यालय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन

अनुमानित सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या जो निम्नानुसार निर्धारित की गई है जिसे आवश्यकतानुसार समय-समय पर घटाई-बढ़ाई जा सकती है, के लिए निविदाकर्ता द्वारा मजदूरी/वेतन की दरें एवं सर्विस चार्जेस का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये।

क्र.	सुरक्षा कर्मचारी का पद	डेयरी संयंत्र उज्जैन	डेयरी संयंत्र रतलाम	डेयरी संयंत्र मंदसौर	कुल(संख्या)
1	सुरक्षा अधिकारी	1	—	—	1
2	सुरक्षा पर्यवेक्षक	3	1	1	5
3	सुरक्षा गार्ड	17	6	6	29
4.	गनमेन	2	—	—	2

कुल 37

नोट :- 1 सुरक्षा ठेकेदार को सुरक्षा अधिकारी एवं गनमेन को कुशल, सुरक्षा पर्यवेक्षक को अर्धकुशल एवं सुरक्षा गार्ड को अकुशल श्रमिक की दर से भुगतान करना होगा। जो कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 01.10.2019 से प्रभावशील है इसको ध्यान में रखते हुये ही दरे दी जाए।

- 1 उपरोक्त दरों के अतिरिक्त म.प्र. शासन एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. टेक्स, कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य प्रभार तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत नियोक्ता अंशदान भी दिया जायेगा।
- 2 उपरोक्त के अतिरिक्त 1/6 रिलीविंग चार्जेस भी देय होगा। जो कि उपस्थिति के आधार पर होगा।

कार्यालय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन

प्रपत्र-03

“भाव पत्र/दरे”(सिर्फ ऑनलाईन भरा जावे)

निम्न मदों में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी। अतः (अ) में दरे भरने की आवश्यकता नहीं है।

(अ)

क्र	विवरण	
1		
	क्र	सुरक्षाकर्मी का विवरण
	1.	सुरक्षा अधिकारी
	2.	गनमैन
	3.	सुरक्षा पर्यवेक्षक
	4.	सुरक्षा गार्ड
2	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान	
3	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान	
4	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस	
5	सर्विस टैक्स का भुगतान	
6	श्रमिक कल्याण निधि अंशदान का भुगतान	
7	वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम रु. 50,000/- प्रति सुरक्षाकर्मी)	
8	कारखाना अवकाश का ओव्हर टाईम/संवैतनिक अवकाश का भुगतान- प्रतिपूर्ति की जावेगी	

नोट:- उपरोक्त मदों में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाण (वेतन भुगतान पत्रक, चालान, भुगतान रसीदें) की मूल प्रति श्रमिकों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी।

ब) निम्न मदों हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दरें प्रस्तुत करें जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा :-

क्रं	विवरण	न्यूनतम मजदूरी राशि पर प्रतिशत
1	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज प्रतिशत में	
	कुल योग	

निविदाकर्ता का नाम.....

